International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 875-879

भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय (एक विश्लेषण)

[1] डॉ0 नरेन्द्र सीमतवाल, [2] अजय कुमार शर्मा

[1] ऐसोसियेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।

[2] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध का तथ्य है कि असमानता, अन्याय एवं शोषणकारी परम्परागत भारतीय समाज के स्थान पर स्वतंत्रता एवं भाईचारे युक्त समाज की स्थापना का डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार हो। यह शोध पत्र भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय ये उद्देश्यों के मध्य सम्बन्धों का विश्लेषण करेगा। इसमें प्रयास किया गया है कि भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो तथा समाज का कमजोर, पीडित, दलित एवं शोषित वर्ग भी वैधानिक अधिकार प्राप्त कर मानवीय जीवन व्यतीत कर सके। सारांश में सामाजिक न्याय की नई धारणा भले ही नयेपन का एहसास कराने में नया विचार प्रतीत न हो, परन्तु सामान्य नागरिकों में नयेपन का एहसास कराने का सामर्थ रखती है।

मुख्य शब्द : संविधान, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, पिछडा वर्ग, शोषित वर्ग।

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय का आधार मूलतः भारतीय संविधान है, पर उसको प्रभावी बनाने में नैतिक और धार्मिक तत्व भी महत्वपूर्ण माने जाते है। इसलिए डॉ0 अम्बेडकर ने अपने सामाजिक न्याय के विचार को नैतिक एवं धार्मिक भाई चारे की भावना से जोडा और निश्चित ही भ्रातृत्व पर अधिक बल दिया। सामाजिक न्याय की धारणा सामान्य तथा सरल तो है परन्तु उसके स्वरूप की जटिलता एवं क्रियाशीलता की निरन्तरता तथा क्रियान्विति काफी कठिन है। इसमें विगत स्थिती को सुधारना वर्तमान को सम्भलनो, समझना और भविष्य का नियोजित करना, सामाजिक न्याय की अपेक्षाएं है।[1]

सामाजिक न्याय का सार तत्व भी यही है कि कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा हर प्रकार से हो और सामाजिक असमानता दूर हो। इसके मार्ग में आने वाली जाति, छुआछूत, रंगभेद, धर्म तथा जन्म भेद व लिंग भेद का निषेध हो। यहॉ यह कहना उचित होगा कि न्याय का समबन्ध नैतिकता और विधि दोनों से है। इस बात को प्रोफेसर हार्ट ने भलिभॉति विवेचित किया है – ''न्याय नैतिकता के एक अंश को निर्मित करता है, मुख्यतः वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित न होकर बल्कि दोनों से जिनके द्वारा व्यक्तियों के वर्गों का उपचार किया जाता है। यह वहीं पक्ष है, न्याय को विधि ओर सार्वजनिक या सामाजिक संस्थाओं की आलोचना के संदर्भ में उसकी विशेष प्रसांगगिता प्रदान करता है। बहारहाल न्याय की धारणा का सम्बन्ध विधि और नैतिकता दोनो से है।

इस शोध पत्र में सामाजिक न्याय विषय पर उचित निष्कर्ष निकल सके इस परिप्रेक्ष्य में पडताल के लिए एक प्रशनावली तैयार की गई जिसमें प्रश्नों के माध्यम से विषयवस्तु का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में सौ व्यक्तियों से साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के जरिये प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये गए। मूलतः इस सर्वेक्षण का विनम्र आश्य यही रहा है कि भारतीय संविधान तथा सामाजिक न्याय की स्थिति का जाएजा लिया जाए और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी से अवगत हुआ जाए।

पद्धति

अध्ययन में मुख्य रूप से अनुभव और एतिहासिक का सयोजन है, जॉच के अवलोकन के साथ–साथ प्रांसगगिक क्षेत्र में डेटा बनाने के लिए साक्षात्कार पद्धती को अपनाया गया है एक प्रश्नावली तैयार की है और उद्देय की प्राप्ति के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया है प्रस्तुत शोध को सफल बनाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतों से डेटा एकत्रित किया गया है इसलिए समस्या को स्पष्ट समझने के लिए अनुसंधान में डाटा कम्प्यूटर विशलेषण एकत्रित करने के बाद गुणात्मक और मात्रात्मक दोनो तरीकों को अपनाया गया है।

सर्वेक्षण

1. सामाजिक न्याय की अवधारणा

सारा समाज एक सूत्र में बंधे ओर सब सुखी हों। वर्ग, वर्ण व जाति और साम्प्रदाय की परिधि से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों व सम्मान की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा की जब हम बात करते हैं, तब पहले से हम समानता के न्याय को स्वीकार कर रहे होते हैं।

देश में मानव–मानव के बीच धर्म, जाति एवं लिंग का भेदभाव न किया जाय और सभी को उन्नती का अवसर मिले और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग की समानता व सम्मान से जीने व देश की उन्नती में भागीदारी करने का समान अधिकार ही सामाजिक न्याय है।[3]

2. सामाजिक न्याय सर्व प्रथम रेखांकित किया

आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय को सर्वप्रथम रेखांकित करने वाले ज्योतिबा फुले थे। सर्वेक्षण में ऐसा मानने वालों का 68 प्रतिशत मत है। वहीं 10 प्रतिशत की राय में डॉ. बी. आर. आम्बेडकर हैं और 5 प्रतिशत संवादी महात्मा गॉधी का नाम बताते हैं। वहीं 17 प्रतिशत संवादी अन्य सुधारकों को सर्व प्रथम सामाजिक न्याय रेखांकित करने वाला मानते है।

3. आरक्षण से सामाजिक न्याय को बल/विरोध मिला

सामाजिक न्याय प्राप्त करने में आरक्षण की भूमिका यह है कि

आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय प्राप्ति में सहायक है।[4] यह उद्धेश्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। आरक्षण से सामाजिक न्याय के अभियान को बल मिला [5] अथवा इससे सामाजिक न्याय के विरोध को बल मिला। इस प्रश्न पर 65 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि इससे वास्तव में सामाजिक न्याय के अभियान को बल मिला है। परन्तु 10 प्रतिशत की राय में विरोध मिला है। वहीं 25 प्रतिशत आंशिक बल मिला बताते हैं।

सर्वेक्षण 3.(अ) तालिकाः आरक्षण से सामाजिक न्याय के अभियान को बल/विरोध मिला

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
बल मिला	65	65
विरोध मिला	10	10
आंशिक रूप से बल मिला	25	25
योग	100	100

वहीं पर यह प्रश्न है कि क्या आरक्षण का लाभ कुछ ही वर्गों ने उठाया है? क्योंकि तुलनात्मक रूप से अधिकतर दलित व कमजोर–पिछडी जातियॉ आज भी आरक्षण से वंचित बनी हुई है। इस विषय में 85 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि आरक्षण का लाभ कुछ वर्गों ने उठाया है।

सर्वेक्षण 3.(ब) तालिकाः क्या आरक्षण लाभ कुछ वर्गों ने ही उठाया है?

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
हॉ	85	85
नहीं	5	5
आंशिक रूप से	10	10
योग	100	100

4. किन वर्गों पर केन्द्रित हो सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय के लिए सामाज के किन वर्गों पर दृष्टि केन्द्रित हो? यह प्रश्न आम राय के मुताबिक ऐसा है, जिसमें विरोधाभास के बिना यह राय बनी है, कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से दबे–कुचले कमजोर वर्ग की ओर सामाजिक न्याय को विशेष तौर पर केन्द्रित होना चाहिए।

इस वर्ग का देश की जाति व्यवस्था ने सदियों से शोषण ही नहीं बल्कि मानवता का जीवन भी नहीं जीने दिया है।

ऐसे वंचित लोगों में घुम्मकड जातियॉ आदिवासी, हरिजन व अति पिछडी जातियॉ आती है। इसलिए हमारे सामने सबसे पहले अन्तिम पंक्ति में बैठा आदमी होना चाहिए।[6]

5. मंडल सिफारिशें और सामाजिक न्याय का वातावरण

इस बारे में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया पर आधारित निम्न तालिका प्रस्तुत है–

सर्वेक्षण 5. तालिकाः मंडल आयोग की सिफारिशों में सामाजिक न्याय के पक्ष में वातावरण निर्मित किया (किस हद तक)

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
विपरीत वातावरण	30	30
काफी हद तक	15	15
कुछ हद तक	55	55
योग	100	100

संवादियों से किए साक्षात्कार के निष्कर्ष के रूप में 55 प्रतिशत संवादियों का मानना था, कि मंडल आयोग ने कुछ हद तक सामाजिक न्याय के पक्ष में वातावरण निर्मित किया।[7] परन्तु 30 प्रतिशत संवादी इस राय के हैं कि आयोग की सिफारिशों के सामने अनुदार, पूँजीवादी व कट्टरवादी तत्वों को खुलकर सामने आने का अवसर मिल गया। इससे बनी परिस्थितियों ने सामाजिक न्याय का वातावरण बनने के बजाय विरीत वातावरण का निर्माण किया।

वहीं 15 प्रतिशत का मानना है कि सिफारिशों ने सामाजिक न्याय के पक्ष में अच्छा वातावरण बनाकर काफी हद तक अपनी भूमिका निभाई है।[8]

6. सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे?

सामाजिक न्याय की प्राप्ति क्या केवल संवैधानिक प्रावधानों से संभव है? यह पडताल का विषय था। इस पर प्रथम निम्न तालिका का अवलोकन किया जाये –

सर्वेक्षण 6 तालिकाः सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे?

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
केवल संवैधानिक प्रावधानों में	5	5
समाज सुधार आन्दोलन से	43	43
उपरोक्त दोनों से	52	52
योग	100	100

उपरोक्त तालिका से पता लगता है, कि केवल 5 प्रतिशत संवादियों का मानना है, कि संवैधानिक प्रावधानों से सामाजिक न्याय संभव है। जबकि 43 प्रतिशत संवादी सुधार आन्दोलन की आवश्यकता बताते हैं। वही 52 प्रतिशत संवैधानिक कानूनों तथा सुधार आन्दोलन दोनों की आवश्यकता महसूस करते हैं।

प्रोफेसर जुगमंदिर तायल सामाजिक व्यवस्था बदलने के लिए सामाजिक चेतना बढानें पर सटीक पक्षधरता व्यक्त करते हैं कि जन–अभियान तथा जन–आन्दोलन (संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी) द्वारा सामाजिक न्याय सम्भव बनेगा।[9]

7. सामाजिक न्याय अभियान जातियों पर जोर से क्या विफल रहा?

सामाजिक न्याय का अभियान जातियों पर जोर के कारण विफल रहा? ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इस पर संवादियों की राय में काफी भिन्नता पाई गई। निम्न तालिका के के अवलोकन से तथ्य उभरता है–

सर्वेक्षण 7. तालिकाः क्या सामाजिक न्याय का अभियान जातियों पर जोर के कारण असफल रहा?

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
हॉ	40	40
नहीं	53	53
आंशिक रूप से हॉ (सही)	07	07
योग	100	100

सामाजिक न्याय का अभियान जातियों पर जोर के कारण विफल रहा है, ऐसा मानने वालों का मत 40 प्रतिशत है। उनकी समझ है, कि मूल आन्दोलन में अब सारा जोर नौकरियों के आरक्षण पर चला गया है। जातिगत किलों के सुरक्षित घेरों में इस तरह निहित स्वार्थ पनता हैं।

परन्तु 53 प्रतिशत संवादियों की समझ इसके विपरीत है, जो अभियान को जातियों के जोर को विफलता का कारण नहीं मानते और मानते हैं, कि विफलता की बात वही करते हैं जो अभियान

विरोधी है।[10] वहीं 7 प्रतिशत संवादी आंशिक रूप से विफलता के पक्षधरों को सही ठहराते हैं।

8. सामाजिक न्याय आन्दोलन वंचितों को कितना न्याय दिलवा सका?

सामाजिक न्याय का आन्दोलन दलितों एवं वंचितों को कितना न्याय दिलवा पाया? और क्या आप इसकी प्रगति से संतुष्ट है? इस प्रश्न पर पडताल के नतीजे निम्न तालिका में देखिये–

सर्वेक्षण 8. (अ) तालिकाः क्या सामाजिक न्याय आन्दोलन द्वारा दलित एवं वंचितों को न्याय दिलाने की प्रगति से आप संतुष्ट हैं?

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
काफी हद तक संतुष्ट	13	13
कुछ हद तक संतुष्ट	75	75
अनुभव तो कर सकते है, माप नही सकते	12	12
पूर्णतः संतुष्ट	0	0
योग	100	100

यहॉ 75 प्रतिशत संवादियों का मानना है, कि कुछ हद तक सामाजिक न्याय आन्दोलन दलित व वंचितों को न्याय दिलवा पाया है। परन्तु वे पूर्णतः नहीं है। श्री सुरेश पंडित मानते है कि आन्दोलन के कारण वंचितों का स्वाभिमान जागा है, और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट भी हुए है।[11]

13 प्रतिशत संवादी आन्दोलन की प्रगति से काफी संतुष्ट है और महत्वपूर्ण प्रगति मानते है। जबकि 12 प्रतिशत कहते है, कि इसके लिए उनके पास कोई मापक नहीं है, परन्तु आन्दोलन ने चेतना आवश्य उत्पन्न की है, यह वे महसूस करते है।

जहॉ तक आन्दोलन की सफलता के लिए उपायों का प्रश्न है, उस पर श्री संदीप पांडे का सटीक सुझाव है, कि सामाजिक बदलाव के काम होते रहने चाहिए। दलित–वंचित अपने संगठनों का मजबूत करें और उनके नाम पर जो विकास योजनाऍ बनी हैं, उनका पूरा लाभ उन्हे मिले, इसके लिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग निरन्त हो।[12]

9. सामाजिक न्याय आंदोलन से क्या जातीय उग्रता बढी है?

जातीय उग्रता पर पहले निम्न तालिका देखिए

सर्वेक्षण 9. तालिकाः सामाजिक न्याय आन्दोलन से क्या जातीय उग्रता बढी है?

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
हॉ	63	63
नहीं	27	27
आंशिक	10	10
योग	100	100

सामाजिक न्याय के आन्दोलन के चलते जातीय उग्रता कम नहीं हुई, बल्कि बढी है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इस पर संवादियों की राय जानने के प्रयास में उपरोक्त तालिका के निष्कर्ष बताते हैं, कि 63 प्रतिशत संवादियों ने माना है, सचमुच उग्रता बढी है। वहीं 27 प्रतिशत की राय है, कि सामाजिक न्याय आन्दोलन से जातीय उग्रता नहीं बढी। महज 10 प्रतिशत आंशिक उग्रता बढने की बात कहते हैं।

लेकिन इस पर सभी संवादी एक राय हैं कि अधिकारों का आन्दोलन कोई बुराई नहीं है परन्तु कुछ उच्च वर्ग के लोग सामाजिक न्याय का विरोध करते है इसमें उग्रता दिखाई देती है। इन वर्गों को लगता है कि उनके अधिकार और सत्ता में वर्चस्व उनके हाथों से छिनने के प्रयास बढ रहे हैं। परन्तु यह भी भिन्नता सामने है कि अब पहले से अधिक विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को स्वीकार भी करने लगे हैं।[13]

10. सामाजिक न्याय में न्यायपालिका की भूमिका

उपरोक्त विषय अगली तालिका में दर्शाया है–

सर्वेक्षण 10. तालिकाः सामाजिक न्याय के क्रम में न्यायपालिका की भूमिका से संतुष्ट

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
संतुष्ट है	45	45
संतुष्ट नहीं	30	30
आंशिक संतुष्ट	15	15
संतुष्ट/असंतुष्ट का प्रश्न नहीं	10	10
योग	100	100

सामाजिक न्याय के क्रम में न्यायपालिका की भूमिका से संतुष्टि पर 10 प्रतिशत संवादी पक्ष–विपक्ष के प्रश्न को उचित नहीं मानते हैं। वे टिप्पणी से बचना चाहते है। न्यायालय परिसर में मनु की मूर्ति जिस देश में प्रतिष्ठित हो वहां उनका कोई टिप्पणी न करना ही सबसे बडी टिप्पणी है। यह दर्शाता है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। न्यायपालिका का आधार व्यापक होना चाहिए और संशोधन के बिना यह संभव नहीं है फिर भी न्यायपालिका की मानसिकता धीरे–धीरे बदल रही है, यह शुभ संकेत है।[14]

45 प्रतिशत संवादी न्यायालय की भूमिका से संतुष्ट हैं। वहीं 30 प्रतिशत असंतुष्ट हैं और 15 प्रतिशत आंशिक रूप से संतुष्ट हैं।

11. सामाजिक न्याय आन्दोलन का आधार–जाति/ आर्थिक स्थिति/दोनो

इस प्रश्न पर निन्न तालिका में संवादियों की राय में जानकारी का विवरण है–

सर्वेक्षण 11. तालिकाः सामाजिक न्याय आन्दोलन का आधार हो

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
जाति	28	28
आर्थिक स्थिति	15	15
जाति व आर्थिक दोनों	57	57
योग	100	100

सामाजिक न्याय का आन्दोलन क्या जाति पर ही होना चाहिए अथवा आर्थिक स्थिति को भी इसमें शामिल कियाजाना चाहिए?

इस प्रश्न पर 28 प्रतिशत संवादी जाति के आधार के पक्षधर हैं तो 15 प्रतिशत सभी के लिए महज ही आर्थिक स्थिति को आधार मानने की वकालत करते हैं।

परन्तु 57 प्रतिशत बहुमत में संवादी जाति और आर्थिक दोनों आधारों की पक्षधरता दर्शाते हैं। उनका मानना है कि जाति की वंचना के साथ–साथ वर्ग शोषण की आवाज भी उठानी चाहिए।[15]

12. ग्रामीण क्षेत्र में उच्च वर्गीय पंचायतों की बढती उग्रता

ग्रामीण क्षेत्र में उच्च वर्गीय पंचायत की उग्रता एवं सर्तकता का स्वरूप और इससे सामाजिक न्याय के आन्दोलन की बढती हुई मुश्किलों सम्बन्धी प्रश्न पर संवादियों के उत्तर निम्न तालिका में दिये जा रहे हैं –

सर्वेक्षण 12. तालिकाः ग्रामीण क्षेत्र में उच्च वर्गों की जातीय पंचायतों की बढती उग्रता और संकीर्णता से सामाजिक न्याय पर प्रभाव

उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
मुश्किलें बढती है	60	60
मुश्किले घटती है	13	13
बढी है परन्तु भविष्य में लाभ	17	17
अंशतः प्रभाव	10	10
योग	100	100

उच्च वर्गों की ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय पंचायतों की उग्रता सामंती कुसंस्कारों के घिनौने प्रर्दशन हैं। इसमें ग्रामीण बेरोजगारी का प्रभाव देखा जा सकता हैं। दलित कुछ उपर उठे तो सवर्णो को लगा कि उनका वर्चस्व गया।[16]

यह उग्रता वर्ग विशेष में आई, सामान्य स्थिति में सकारात्मक परिणाम भी आये हैं। पंचायती एक्ट द्वारा दलित महिलाएँ भी पंचायत से जुडी। इसमें चेतना के साथ में गुट–बाजी भी पनपती है, यह भी तथ्य है।[17]

संवादियों में 60 प्रतिशत मुश्किले बढी मानते हैं। वही 13 प्रतिशत मुश्किलें घटी हैं यह कहते है और 17 प्रतिशत का मानना है कि मुश्किले बढी है परन्तु भविष्य में इससे भी लाभ ही होगा। फिर 10 प्रतिशत स्थिति को अंशतः प्रभावित ही बताते है।

13. सर्वेक्षण की प्रश्नावली का तेरहवां एवं अन्तिम प्रश्न पांच उपभागों में बॅटा हुआ है।

(अ) सामाजिक न्याय आन्दोलन को आप एक समता मूलक समाज बनाने की दृष्टि से कितना उपयोगी मानते हैं?

इस प्रश्न पर कमोबेश सभी संवादीगण विचार व्यक्त करते है। इन उत्तरों का प्रतिनिधित्व डॉ. मंजू अरूण के शब्दों में, इस प्रकार व्यक्त किया है–

''वर्षो से स्थापित जातिगत मतभेद को समाप्त करने की दशा में और एक समता मूलक समाज बनाने की दृष्टि से सामाजिक न्याय आन्दोलन ने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। निम्न वर्गों के उत्थान और उन्नति का सारा श्रेय इसी आन्दोलन को जाता है। दलित वर्गों को वस्तुस्थिति का आभास कराना और चेतना जगाना इसी के कारण हैं।''[18]

(ब) जाति धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए आप क्या तरीके सुझाते हैं?

इस प्रश्न पर संवादियों में कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न के सिलसिले में प्रतिनिधि उत्तर के रूप में प्रोफेसर जुगमंदिर तायल द्वारा व्यक्त इस बारे मं विचार दे रहे हैं,'' जाति धर्म से ऊपर उठकर मनुष्य की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए हमें व्यक्तिगत तथा जाति–धर्म के बारे में न सोचकर समूचे समाज के कल्याण के बारे में सोचना होगा। पिछडों को उचित व विशेष अवसर देने का समाज विरोध न करें। बल्कि सहमत होकर सहयोगात्मक व्यवहार करें, तभी सामाजिक न्याय द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना हो पायेगी।''[19]

(स) व (द) में वर्णित प्रश्नों के उत्तर निम्न तालिकाओं में दिये गये हैं–

सर्वेक्षण 13. (स) तालिकाः सामाजिक न्याय की विफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन ?

संवादियों के उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
सरकार	15	15
राजनैतिक दल	43	43
एन.जी.ओ.	02	02
जातिगत संस्थाएँ	05	05
हम सभी	35	35
योग	100	100

सर्वेक्षण 13. (द) तालिकाः क्या राजनैतिक दल आरक्षण मुद्दा वोट बैंक के लिए उठाते है?

संवादियों के उत्तर	संवादी संख्या	प्रतिशत में
हॉ	80	80
नहीं	03	03
आंशिक रूप से हॉ	17	17
योग	100	100

प्रश्न 13 (स) में सामाजिक न्याय की विफलताओं के लिए जिम्मेदार सरकार को 15 प्रतिशत संवादियों ने, राजनैतिक दलों को 43 प्रतिशत संवादियों ने, 2 प्रतिशत ने एन.जी.ओ. को एवं 5 प्रतिशत ने जातिगत संस्थाओं को जहॉ जिम्मेदार बताया, वहीं 35 प्रतिशत का मानना है, कि हम सभी लोग इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे है। जाहिर है, कि जागरूक समाज की सक्रियता बढनी ही चाहिए।

प्रश्न 13 (द) क्या आप मानते है कि आरक्षण का मुद्दा राजनैतिक दल केवल वोट–बैंक को ध्यान में रखकर उठाते हैं? इसके उत्तर में बहुमत 80 प्रतिशत 'हॉ' में उत्तर देते हैं। महज 3 प्रतिशत इस स्थिति को नकारते हैं। वहीं 17 प्रतिशत आंशिक रूप से 'हॉ' में उत्तर देते हैं।

निष्कर्ष

आजादी के इतने वर्ष गुजरने पर तथ्य उल्लेखनीय है, कि ऊॅची जातियों की बढ़ती उग्रता व असहिष्णुता के बरबस दलित–पिछडें? भी लागबंद व मुखर होने लगे हैं। जाहिर है कि सब कुछ सहता वर्ग जब मुखर होता नजर आने लगता है, तब सवर्णता के पक्षधर इस मुखरता को दोष देने लगते हैं और भूल जाते हैं कि यह मुखरता प्रतिक्रया है, क्रिया नहीं है। यह उन्हें अनिवार्यता से सझतना ही होगा, अन्यथा पूर्वावग्रहों से ग्रसित मानसिकता हमारे मानवीय पक्ष और आर्दशों को ठेस पहॅचाने वाली साबित हेागी। इस दृष्टिकोण में इस शोध का महत्व अन्तर्निहित है।

सामाजिक न्याय की धारणा बहुआयामी है। इसके पक्ष हैं और उनसे संबन्धित अनेक प्रश्न उभरते हैं। इन अवरोधकों का सामना किस प्रकार किया जाये ? इसके लिए भारतीय संविधान ने विविध प्रावधान किये हैं। सामाजिक न्याय के अन्तर्गत वर्तमान में संविधान के तहत सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग ही आरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है। इसमें आर्थिक पिछड़ेपन को भी यदि जोडा जाय, तब यह परिस्थिति सामाजिक न्याय के प्रतिकूल न होगी। आर्थिक पिछड़ेपन को भी इस हेतु जोड़ने की मॉग काफी जोरों पर हैं। इस पर विचार करना श्रेयकर होगा। आर्थिक

पिछड़ापन जोड़ने की मॉग पूरी किये जाने पर वर्तमान स्थिति में अधिक लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

अमल योग्य सुझाव

1. यहॉ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि क्रीमी लेयर (सम्पन्न वर्ग) को अलग निकाल कर आरक्षण का आदेश अपरोक्ष में यह यही इंगति करता है, कि 'आर्थिक स्थिति' का सीधा सम्बन्ध पिछड़ेपन से है। न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (4) के तहत, जिसमें कि जातियों को आरक्षण का हकदार बताया है, में आदेश दिये हैं और इसी अनुच्छेद में गैर हिन्दुओं जैसे ईसाई, मुसलमान व सिक्खों में भी जातियॉ होती है और अनुच्छेद 16 (4) के अधीन वे आरक्षण की हकदार है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का बहुमत का निर्णय था, और यदि कोई वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो इसे अनुच्छेद 16 (3) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग माना जायेगा।[12] जिन परिवारों की आमदनी निश्चित सीमा के नीचे हैं, उनके लिए भी आरक्षण का कुछ कोटा हो, और इस पर आम सहमति बनाई जानी चाहिए।
2. अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में यदि किसी जाति को जोडना हो, तो आम सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
3. आरक्षण के विषय को सरकार आम सम्मति से संचालित करे तथा हर पॉचवे वर्ष आरक्षण विषय को जारी रखने या न रखने पर विचार किया जये। एक निश्चित आधार मानकर आरक्षण विषयों के काम–काज को निपटानें के कारगर प्रयास जारी हों।
4. सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारतीय समाज में प्रचलित परम्परागत सामाजिक मान्यताओं को समाप्त करना जरूरी है। अतः सरकार को चाहिए कि असमानतापूर्ण सामाजिक रीति–रिवाजों एवं परम्पराओं को हतोत्साहित करें एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त जीवन शैली का प्रचार किया जाये।
5. समस्त आरक्षित वर्ग के युवकों के लिए धन्धों से पूर्व प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, उच्च शिक्षा के लिए पुस्तक अनुदान व शैक्षणिक रियासतें तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए।

संदर्भ

1. डॉ. जाटव, डी.आर., सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, साहित्य सदन, जयपुर 1993, पृ.78
2. डॉ. जाटव, डी.आर., सामाजिक न्याय का सिद्धान्त, साहित्य सदन, जयपुर 1993, पृ.163
3. सौगत, जी.एस., सामाजिक कार्यकर्ता, साक्षात्कार से उद्धत
4. प्रो.तायल, सुगमिन्दर, शिक्षाविध तथा सामाजिक कार्यकर्ता, साक्षात्कार का उद्धत
5. पांडे, संदीप, मैग्सैसे अवार्ड से सम्मानित, सामाजिका कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
6. डा. माननी, जीवन सिंह, शिक्षाविद्य, सामाजिक कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
7. मीरोठ, पी.एल. सामाजिका कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
8. सैनी, हरिनायण, सामाजिका कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
9. प्रो.तायल, सुगमिन्दर, शिक्षाविध तथा सामाजिक कार्यकर्ता, साक्षात्कार का उद्धत
10. बौद्ध, एच.एल., सामाजिक कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
11. पंडित, सुरेश लेखक एवं सामाजिक कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
12. पांडे, संदीप, उपरोक्त
13. गोयल, हरिशंकर, सामाजिक कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
14. गोयल, हरिशंकर, उपरोक्त
15. सौगत, जी.एस. सामाजिक कार्यकता, उपरोक्त
16. प्रो. तायल, जुगमिन्दर, उपरोक्त
17. पांडे, सन्दीप, उपरोक्त
18. डॉ. अरूण, मंजू, शिक्षाबिद्य एवं सामाजिक कार्यकता, साक्षात्कार से उद्धत
19. प्रो. तायल, जुगमिन्दर, उपरोक्त